

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 23/2018

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, चौहटन  
मुख्यावास बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

श्री हसन पुत्र श्री इस्माइल मुल्ला  
मैसर्स बंगाली आभूषण पॉलिस कॉर्नर  
पनघट रोड़, बाड़मेर शहर, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनिल बीएल रामावत, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30.07.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 09.04.2017 को श्री सवाईराम प्रवर्तन निरीक्षक शिव मुख्यालय बाड़मेर एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक, सिणधरी के साथ प्रार्थी स्वयं ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स बंगाली आभूषण पॉलिस कॉर्नर, पनघट रोड़, बाड़मेर शहर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री हसन पुत्र इस्माइल मुल्ला उपस्थित मिला। उक्त दुकान में आभूषण पर पॉलिश कर ग्राहकों को विक्रय किये जाने का कार्य किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	82351	IOCL	29.900 Kg	15.700 Kg	14.200 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सिलेण्डर को मैसर्स बाड़मेर गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री गौतमचन्द बोथरा पुत्र श्री पारसमल जाति जैन निवासी जैन न्याति नोहरा को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित।



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स बाड़मेर गैस एजेन्सी को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत


  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु अपने कथन में ऐसा कोई ठोस पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही प्रतिवाद किया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकाष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(हिमांशु गुप्ता)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर